Programme- BA.LL.B

Course - **LAW**

Course Code- **BAL-325**

Sem- **7th sem**

2020

Year- **2020-21**

Unit- **1 (Part-1)**

WOMEN AND LAW

Topic- Women and Law

Sub-Topic- Cruelty to married women

Faculty-Sanjeev Kumar Nimesh

E-mail- sara2015nim@gmail.com

SANJEEV KUMAR NIMEH

8/5/2020

Programme-	**BA.LL.B**
Course -	**LAW**
Course Code-	**BAL-325**
Sem-	**BAL-7TH SEM**
Year-	**2020-21**
Unit-	**1 (Part-1)**
Topic-	**Women and Law**
Sub-Topic-	**Cruelty to married women**
Faculty-	**Sanjeev Kumar Nimesh**
E-mail-	**sara2015nim@gmail.com**

घरेलू हिंसा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए

घरेलू हिंसा का परिचय

कुछ समय पहले, एक युवा लड़की के कागजात में एक समाचार आइटम था जिसे उसके पिता और भाई ने सिर्फ इसलिए बेरहमी से जला दिया था क्योंकि उसने अपने परिवार द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया था। यह आज हमारे राष्ट्र के मामलों की स्थिति है जहां दहेज, सम्मान, घरेलू हिंसा और क्या नहीं के नाम पर अनगिनत महिलाओं की हत्या की जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2012 के आँकड़ों के अनुसार, दहेज हत्या की 8233 घटनाओं के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा बी और आईपीसी की धारा 498 ए के तहत पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 106527 घटनाओं की सूचना दी गई थी। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को सम्मान और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए सुरक्षा की गारंटी देता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 15 के आधार पर किसी को हाशिए पर रखा गया है।भारत ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों (CEDAW) के उन्मूलन के लिए कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की पुष्टि की है। इसलिए,

भारत ने महिलाओं के लिए इस असमानता को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान किए। भारतीय दंड संहिता, 1860, दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DPA), घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण (PWDVA) महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करते हुए धारा 113 B, 498A और 304B जैसे कानून शामिल हैं। इनमें यह भी स्थिति है कि विवाह और परिवार के संस्थान राज्य के हस्तक्षेप से अछूते नहीं हैं, विशेषकर जहां ऐसी संस्थाओं के भीतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है।घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा (PWDVA) महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करती है। इनमें यह भी स्थिति है कि विवाह और परिवार के संस्थान राज्य के हस्तक्षेप से अछूते नहीं हैं, विशेषकर जहां ऐसी संस्थाओं के भीतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है।घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा (PWDVA) महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करती है। इनमें यह भी स्थिति है कि विवाह और परिवार के संस्थान राज्य के हस्तक्षेप से अछूते नहीं हैं, विशेषकर जहां ऐसी संस्थाओं के भीतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है।

धारा 498 ए के लिए आवश्यकता

1980 के दशक के दौरान, दहेज की मौतें भारत में लगातार बढ़ रही थीं। दहेज हत्या एक युवती की हत्या है; ससुराल वालों द्वारा, पैसे, लेख या संपत्ति के लिए उनकी ज़बरदस्त मांगों को पूरा न करने पर, जिसे आमतौर पर दहेज कहा जाता है। पति और उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले, निर्दोष असहाय महिलाओं की आत्महत्या / हत्या में परिणत होते हैं, हालांकि क्रूरता से जुड़े मामलों का केवल एक छोटा लेकिन भीषण अंश होता है। भारत में दहेज हत्या की बढ़ती संख्या के साथ, इस मामले को प्रभावी तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। देश भर के संगठनों ने सरकार पर घरेलू हिंसा और दहेज के खिलाफ महिलाओं को विधायी संरक्षण प्रदान करने का दबाव डाला और आग्रह किया। इसका उद्देश्य राज्य को तेजी से हस्तक्षेप करने और उन युवा लड़कियों की हत्याओं को रोकने की अनुमति देना था, जो अपने ससुराल वालों की दहेज की मांगों को पूरा करने में असमर्थ थीं।इस वस्तु के साथ, भारत सरकार ने आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) में संशोधन किया और अध्याय XX-A के तहत एक नया खंड 498 (ए) डाला।*क्रूरता से पति या पति के रिश्तेदारों के* 26 वें दिसंबर, 1983 में संशोधन न केवल दहेज पर होने वाली मौतों बल्कि उनके ससुराल वालों द्वारा विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों केंद्रित है। आईपीसी की धारा 498 (ए) आईपीसी का एकमात्र खंड है जो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को अपराध के रूप में मान्यता देता है। बाद में एक ही संशोधन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.PC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 (IEA) में भी संशोधन किए गए,

ताकि दहेज हत्या और पति द्वारा विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। कानून और रिश्तेदार।

धारा 498 ए की सामग्री

"498 ए। किसी महिला के पति या रिश्तेदार उस पर क्रूरता का आरोप लगाते हैं-जो कोई भी हो, किसी महिला के पति या रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करने वाले विषयों पर कारावास की सजा दी जाएगी, जो तीन साल तक बढ़ सकती है और होगी भी। ठीक करने के लिए उत्तरदायी हो। स्पष्टीकरण ।- *इस धारा के उद्देश्य के लिए, "क्रूरता" का अर्थ है- (क) कोई भी विलक्षण आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना है। (चाहे मानसिक या शारीरिक) स्त्री का; या (ख) उस महिला का उत्पीड़न जहां इस तरह का उत्पीड़न किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती करने की दृष्टि से है या उससे मिलने या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा विफलता के कारण है ऐसी मांग। "* इस खंड को आकर्षित करने के लिए आवश्यक मूल बातें हैं: क) महिला की शादी बी होनी चाहिए) उसे क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन होना चाहिए; और ग) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न या तो महिला के पति द्वारा या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा दिखाया गया है अनुभाग की एक नंगी झलक से पता चलता है कि 'क्रूरता' शब्द किसी भी या सभी निम्नलिखित तत्वों को शामिल करता है: (i) कोई भी 'इच्छापूर्ण 'आचरण जो एक ऐसी प्रकृति का है, जिसमें महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है; या (ii) कोई 'इच्छाधारी' आचरण जिससे महिला को गंभीर चोट लगने की संभावना हो; या (iii) किसी भी 'विलफुल' कृत्य से महिला, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उसके लिए जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना है, साथ ही, 'उत्पीड़न' शब्द से जुड़ी आपराधिकता 'क्रूरता' से मुक्त है और निम्नलिखित उदाहरणों में दंडनीय है:(i) जहाँ महिला का उत्पीड़न किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा या (ii) के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती करने के लिए है (ii) जहां उत्पीड़न उसके या किसी व्यक्ति द्वारा विफलता के कारण होता है इस तरह की मांग को पूरा करने के लिए यह स्पष्ट है कि धारा 498-ए के उद्देश्यों के लिए न तो हर क्रूरता और न ही उत्पीड़न की आपराधिक दोषी है। शारीरिक हिंसा और चोट की संभावना के कारण गंभीर चोट या जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है, तथ्य खुद के लिए बोलते हैं। इसलिए, हम देख सकते हैं कि, यह कानून चार प्रकार की क्रूरता से संबंधित है: (i) कोई भी आचरण जो किसी महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, (ii) कोई भी आचरण जिसके कारण जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचने की संभावना है महिला की,(iii) महिला या उसके रिश्तेदारों को कुछ संपत्ति देने के लिए मजबूर करने के

उद्देश्य से उत्पीड़न, या (iv) उत्पीड़न क्योंकि महिला या उसके रिश्तेदार या तो अधिक पैसे की मांग करने में असमर्थ हैं या संपत्ति का कुछ हिस्सा नहीं देते हैं ।

धारा 498 ए के तहत अपराध की प्रकृति है:

- **संज्ञेय** : अपराध संज्ञेय और गैर-संज्ञेय में विभाजित हैं। कानूनन, पुलिस एक संज्ञेय अपराध को दर्ज करने और उसकी जांच करने के लिए बाध्य है। 498A एक संज्ञेय अपराध है।
- **गैर-जमानती** : दो प्रकार के अपराध हैं, उबालने योग्य और गैर-जमानती। 498 ए गैर जमानती है। इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट के पास जमानत से इंकार करने और किसी व्यक्ति को न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजने की शक्ति है।
- **गैर-कंपाउंडेबल** : एक गैर-कंपाउंडेबल मामला, जैसे बलात्कार, 498 ए आदि, याचिकाकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है। अपवाद आंध्र प्रदेश राज्य में है, जहां 498A को कंपाउंडेबल बनाया गया था।

धारा 498 ए- का विकास

सुवेता बनाम* सुप्रीम कोर्ट इन *इंस्पेक्ट। ओफ़ पुलिस एंड अनर। [1] आयोजित कि: क्लॉज (ए) क्रूरता के उग्र रूपों से संबंधित है जो गंभीर चोट का कारण बनता है। सबसे पहले, इस तरह के गंभीर स्वभाव का विलक्षण आचरण महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की संभावना है, जो खंड (ए) के दायरे में आती है। खण्ड (क) का दूसरा अंग उस दृढ़ इच्छाशक्ति का पालन करता है जो महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरे का कारण बनता है, जिसे 'क्रूरता' माना जाता है। दहेज संबंधी उत्पीड़न स्पष्टीकरण के खंड (बी) के भीतर है। जब पीड़ित महिला के बयान के साथ दर्ज एफआईआर खंड (ए) के भीतर गंभीर प्रकृति की क्रूरता का खुलासा करती है, तो पुलिस अधिकारी को शारीरिक हिंसा का सबूत होने पर विशेष रूप से तेजी से और तुरंत कार्रवाई करनी होगी। पहली अवस्था मै,समुचित चिकित्सा सहायता और उत्तेजित महिलाओं को परामर्शदाताओं की सहायता प्रदान की जाएगी और जांच की प्रक्रिया बिना समय गंवाए शुरू होनी चाहिए। 3 साल तक की सजा और जुर्माना निर्धारित किया गया है। अभिव्यक्ति 'क्रूरता' को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना और उत्पीड़न के कृत्यों में लिप्त होना, किसी के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके संबंधों के साथ उत्पीड़न करना संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा। दहेज के लिए उत्पीड़न अनुभाग के उत्तरार्द्ध अंग के स्वीप के भीतर आता है। महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली स्थिति बनाना भी 'क्रूरता' के अवयवों में से एक है। एस। 498 ए के तहत अपराध संज्ञेय, गैर-यौगिक और गैर-जमानती

है। के मामले में3 साल तक की सजा और जुर्माना निर्धारित किया गया है। अभिव्यक्ति 'क्रूरता' को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना और उत्पीड़न के कृत्यों में लिप्त होना, किसी के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके संबंधों के साथ उत्पीड़न करना संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा। दहेज के लिए उत्पीड़न अनुभाग के उत्तरार्द्ध अंग के स्वीप के भीतर आता है। महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली स्थिति बनाना भी 'क्रूरता' के अवयवों में से एक है। एस। 498 ए के तहत अपराध संज्ञेय, गैर-यौगिक और गैर-जमानती है। के मामले में3 साल तक की सजा और जुर्माना निर्धारित किया गया है। अभिव्यक्ति 'क्रूरता' को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना और उत्पीड़न के कृत्यों में लिप्त होना, किसी के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके संबंधों के साथ उत्पीड़न करना संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा। दहेज के लिए उत्पीड़न अनुभाग के उत्तरार्द्ध अंग के स्वीप के भीतर आता है। महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली स्थिति बनाना भी 'क्रूरता' के अवयवों में से एक है। एस। 498 ए के तहत अपराध संज्ञेय, गैर-यौगिक और गैर-जमानती है। के मामले मेंअभिव्यक्ति 'क्रूरता' को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना और उत्पीड़न के कृत्यों में लिप्त होना, किसी के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके संबंधों के साथ उत्पीड़न करना संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा। दहेज के लिए उत्पीड़न अनुभाग के उत्तरार्द्ध अंग के स्वीप के भीतर आता है। महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली स्थिति बनाना भी 'क्रूरता' के अवयवों में से एक है। एस। 498 ए के तहत अपराध संज्ञेय, गैर-यौगिक और गैर-जमानती है। के मामले मेंअभिव्यक्ति 'क्रूरता' को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना और उत्पीड़न के कृत्यों में लिप्त होना, किसी के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसके संबंधों के साथ उत्पीड़न करना संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा। दहेज के लिए उत्पीड़न अनुभाग के उत्तरार्द्ध अंग के स्वीप के भीतर आता है। महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली स्थिति बनाना भी 'क्रूरता' के अवयवों में से एक है। एस। 498 ए के तहत अपराध संज्ञेय, गैर-यौगिक और गैर-जमानती है। के मामले में498 ए संज्ञेय, गैर-यौगिक और गैर-जमानती है। के मामले में498 ए संज्ञेय, गैर-यौगिक और गैर-जमानती है। के मामले में ***रमेश दलाजी गोडाद बनाम गुजरत*** [2] ; सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने के लिए कि क्रूरता S.498A IPC के स्पष्टीकरण क) के तहत थी, यह दिखाने या सामने रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि महिला को पीटा गया था- उसके मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने, उसके संवैधानिक अधिकारों का खंडन करने या उससे बात न करने के लिए ठीक से मानसिक क्रूरता के दायरे में आ जाएगा। एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय [3] ने कहा कि "क्रूरता के परिणाम जो महिला को आत्महत्या करने या जीवन, अंग, या स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट या खतरे का कारण बनने की संभावना है, चाहे वह मानसिक या शारीरिक रूप से महिला की आवश्यकता हो धारा 498A IPC के आवेदन को घर लाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए "।

इस अनुभाग के काम को ठीक से समझने के लिए, निम्नलिखित प्रावधानों पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है:

1. *भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-बी*

"113-बी: दहेज हत्या के रूप में अनुमान-जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या कर दी है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया गया है, या दहेज के लिए किसी भी मांग के संबंध में, अदालत यह मान लेगी कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या का कारण बना था। स्पष्टीकरण-इस धारा के उद्देश्य के लिए `दहेज मृत्यु 'का वही अर्थ होगा जो धारा का भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के समान अर्थ है (1860 का 45)।" यह एक अनुमान के अनुसार धारा है जिसे आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 के द्वारा आईपीसी की धारा 498 ए की प्रविष्टि के द्वारा साक्ष्य अधिनियम में डाला गया है। इस खंड के संचालन की अवधि सात वर्ष है। अत,इस धारा के तहत एक अनुमान तब लगता है जब एक महिला ने शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली।

2. *भारतीय दंड संहिता की धारा 306*

"306: आत्महत्या का अभियोग। – यदि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के आयोग का पालन करता है, उसे या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।" **सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ और ओआरएस** *में* सर्वोच्च न्यायालय [4]कहा कि: दो खंड यानी धारा ३०६ और धारा ४ ९ that ए के बीच मूल अंतर इरादा का है। उत्तरार्द्ध के तहत, पति या उसके संबंधों द्वारा की गई क्रूरता, आत्महत्या करने के लिए संबंधित महिलाओं को खींचती है, जबकि पूर्व प्रावधान के तहत आत्महत्या को रोक दिया जाता है और उसका उद्देश्य होता है। क्रूरता के परिणाम जो महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने या जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट या खतरे का कारण बनते हैं, क्या धारा 498 आईपीसी के आवेदन को घर लाने के लिए महिला के मानसिक या शारीरिक रूप से स्थापित होना आवश्यक है? । धारा 498 ए के उद्देश्य से स्पष्टीकरण में क्रूरता को परिभाषित किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 304-बी और 498 ए, आईपीसी को पारस्परिक रूप से समावेशी नहीं ठहराया जा सकता है। ये प्रावधान दो अलग-अलग अपराधों से निपटते हैं।यह सच है कि दोनों वर्गों के लिए क्रूरता एक आम बात है और इसे साबित करना होगा। धारा 498 ए का स्पष्टीकरण `क्रूरता` का अर्थ देता है। धारा 304 में- `क्रूरता 'के अर्थ के बारे में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन इन अपराधों की सामान्य पृष्ठभूमि के संबंध में, यह लिया जाना चाहिए कि

`क्रूरता 'या` उत्पीड़न' का अर्थ धारा 498A के स्पष्टीकरण में निर्धारित किया गया है, जिसके तहत `क्रूरता 'अपने आप में एक अपराध है। के एक अन्य मामले मेंलेकिन इन अपराधों की सामान्य पृष्ठभूमि के संबंध में, यह लिया जाना चाहिए कि `क्रूरता 'या` उत्पीड़न' का अर्थ धारा 498A के स्पष्टीकरण में निर्धारित किया गया है, जिसके तहत `क्रूरता 'अपने आप में एक अपराध है। के एक अन्य मामले मेंलेकिन इन अपराधों की सामान्य पृष्ठभूमि के संबंध में, यह लिया जाना चाहिए कि `क्रूरता 'या` उत्पीड़न' का अर्थ धारा 498A के स्पष्टीकरण में निर्धारित किया गया है, जिसके तहत `क्रूरता 'अपने आप में एक अपराध है। के एक अन्य मामले में*हिमाचल प्रदेश राज्य। निक्कू राम और ओआरएस* [9] ।, धारा ३०४-बी, ४ ९ *v*- ए, ३०६ और ३२० आईपीसी के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा ४ ९ A ए स्पष्टीकरण (बी) के लिए क्रूरता का गठन करने के लिए उत्पीड़न दहेज की मांग के साथ सांठगांठ है और अगर यह गायब है तो मामला धारा 498 ए के दायरे से बाहर होगा। धारा 498 ए के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पूर्व शर्त मांग है और यदि मांग गायब है और मांग के साथ महिला को किसी भी सांठगांठ के बिना यातना देने के लिए क्रूरता है, तो ऐसी क्रूरता स्पष्टीकरण के तहत कवर नहीं की जाएगी (बी)) धारा 498A आईपीसी के तहत। यह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक क्रूरता हो सकता है के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित के रूप में **शोभा रानी वी। मधुकर रेड्डी** [6] , शीर्ष अदालत ने पाया कि धारा 498 ए के तहत आईपीसी की क्रूरता हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता से अलग है, जो पत्नी को विवाह के विघटन के लिए डिक्री प्राप्त करने का अधिकार देती है।

धारा 498 ए का विकास

महिलाओं को दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाने के उद्देश्य से यह धारा लागू की गई थी। हालाँकि, हाल ही में, इसका दुरूपयोग रोजमर्रा का मामला बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए, **सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ** [7] के ऐतिहासिक मामले में इस धारा की 'कानूनी आतंकवाद' के रूप में निंदा की। चूंकि क्रूरता हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ia) के तहत तलाक के लिए एक आधार है। पतियों को डराने के लिए पत्नियां अक्सर इस प्रावधान का इस्तेमाल करती हैं। **प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य** *के* एक अन्य मामले में , [8]सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "पूरे प्रावधान की गंभीर पुनरावृत्ति विधानमंडल द्वारा की गई है। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि घटना के अतिरंजित संस्करण बड़ी संख्या में शिकायतों में परिलक्षित होते हैं। बहुत अधिक संख्या में मामलों में अति-निहितार्थ की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। यहां तक कि S.498A IPC के तहत आरोपी एक निर्दोष व्यक्ति को अपराध को गैर-जमानती और संज्ञेय होने के कारण त्वरित न्याय प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 'न्याय में देरी न्याय से वंचित है', इसलिए 243rd आयाआईपीसी की धारा 498 ए पर विधि आयोग की रिपोर्ट में इस खंड की खामियों

और इसके दुरुपयोग को दूर करने के लिए कई बदलाव किए जाने चाहिए। इस संबंध में एक सख्त कानून संसद द्वारा पारित करने की आवश्यकता है ताकि उन लोगों को दंडित किया जा सके जो कानून के अनुसार काम करते हैं और कानून की प्रणाली को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। 243rd रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा कि इसके संबद्ध Cr.PC प्रावधानों के साथ धारा उत्पीड़न और प्रति-उत्पीड़न के एक साधन के रूप में कार्य नहीं करेगा।

संदर्भ:

[१] ६ मई २०० ९

[२] II (२००४) DMC १२४

[३] श्रीनिवासुलु बनाम एपी राज्य (2000)

[४] १ ९ जुलाई, २००५

[५] ३० अगस्त, १ ९९ ५

[६] १ ९ 121] एआईआर १२१

[[] (२००५ (६) एससी २६६)

[SC] एआईआर २०१० एससी ३३६३